Sookhm , Laghu evam Madhyam Udyamon mai mahilaon kee Tulnaatmek Sahbhaagita

(Janpad Champawat ke Vishesh Sandarbh mein)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में महिलाओं की तुलनात्मक सहभागिता (जनपद चम्पावत के विशेष संदर्भ में)

डॉ0 ऊषा पन्त जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र विभाग)
मोती राम बाबू राम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल
अनु पाण्डेय (शोधार्थी)
मोती राम बाबू राम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल

शोध सारांश

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्यम उद्यमिता की नर्सरी कहे जाते हैं, जो सशक्त औद्योगिक परिवेंश निर्माण में सहायक पौधे हैं। जिनका पोषण व विकास स्वस्थ आर्थिकी के लिये आवश्यक है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में औद्योगीकरण अनिवार्य धारणा बन गया है। जिसका सर्वोत्तम विकल्प सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यम हैं। इस क्षेत्र में जितना अधिक विकास, संवर्धन किया जायेगा परिणाम उतने ही प्रभावी प्राप्त किये जा सकेंगे। इनके विकास के लिये इन उद्यमों में विकास हेतु सभी सहयोगी संसाधनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसमें एक महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन है जिनके विकास के बिना इन उद्यामों के विकास की परिकल्पना ही आधार शून्य है। मानव संसाधनों की उद्यमिता विकास प्रासंगिकता के संदर्भ में महिला एवं पुरुष की समानान्तर सहभागिता विकास की अनिवार्य शर्त है। महिलायें समाज का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती हैं, जिनकी दशा देखकर ही सम्बन्धित समाज के विकास का आंकलन किया जा सकता है। उनकी सशक्त स्थिति समाज के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक एवं सर्वागीण विकास को सुनिश्चित करती है।

वर्तमान वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास की भूमिका निरन्तर महत्वपूर्ण स्वीकार की जा रही है। इस बदलते स्वरूप में महिलाओं को भी विकास धारा से जोड़ना वैश्विक प्रतिस्पर्धा की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है।

प्रस्तुत शेध पत्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास में महिलाओं की सापेक्षिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन है, जिसका क्षेत्र भारतीय गणतंत्र के उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चम्पावत को आधार बनाकर किया गया है। जिसके माध्यम से जनपद चम्पावत में इस क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

कुन्जी शब्द – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, औद्योगीकरण, उद्यमिता, वैश्वीकरण, वैश्विक प्रतिस्पर्धा

प्रस्तावना–

"The position of women in a society is an accurate index of development of the society" [1]किसी भी राष्ट्र के विकास, सभ्यता, संस्कृति के निर्माण में नारी का योगदान वैदिक काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। यदि हम वैश्विक इतिहास को दृष्टिगत रख मंथन करें तो नारी का योगदान विकास पथ में सदैव सर्वोच्च रहा है। महिलायें समाज का अभिन्न अंग हैं, जो राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक व सर्वागीण विकास का निर्धारण करती हैं। भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान आदिकाल से ही सर्वोच्च रहा है। नारी को देवी स्वरूप मानकर पूज्यनीय माना गया है। वैदिक काल तक

भी महिलाओं की सामाजिक स्थिति सशक्त रही थी। किन्तु मध्यकाल आते–आते पतन उन्मुख हो गयी, जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही निरन्तर सुधारने काप्रयास किया गया। इस दिशा में क्रांतिकारी पहल 20 अप्रैल 1993 को आरम्भ हुई, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के विकास, जिसमें महिलाओं के लिए राजनैतिक प्रतिभागिता हेतु प्रावधान किये गये। साथ ही पंचायत स्तर पर एक तिहाई सीटों व पदों पर महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई। 12 सितम्बर 1995 को महिलाओं के लिये आरक्षण सम्बन्धित 81वाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद में चर्चा का विषय बना। महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण के विषय में प्रो0 अमर्त्य सेन ने कहा है ''यदि वंचित वर्ग को उसका अधिकार मिल जाए तो उसमें काबिलियत अपने आप पैदा हो जाती है। उस वर्ग का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास भी हो जाता है। यदि प्रो0 आमर्त्य सेन के विचारों को अपनाकर महिलाओं को उनके आर्थिक अधिकार दे दिये जायें तो कोई कारण नहीं कि महिलाओं का विकास न हो।''[2]

अतः महिलाओं का विकास धारा से जुड़ना विकसित समाज हेतु अनिवार्य शर्त है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम क्षेत्र नित नवीन नवोन्मेषों के माध्यम से उद्यमिता विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जो घरेलू, वैश्विक माँग आपूर्ति के साथ उत्पादन एवं रोजगार क्षेत्रों का भी संवर्धन कर रहे हैं। इस रोजगार सृजक गतिविधि में लैंगिक असमानता किसी एक वर्ग का ही विकास का कारक बन सकती है। अतः दोनों की समान सहभागिता विकास की आवश्यक शर्त है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में तुलनात्मक महिला सहभागिता

राष्ट्रीय परिदृश्य में–

राष्ट्रीय परिदृश्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमिता क्षेत्र औद्योगीकरण व रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो ''कुल सकल घरेलू उत्पाद GDP का 40 प्रतिशत, राष्ट्र के कुल निर्यात का 48 प्रतिशत कुल रोजगार में 11.10 करोड, रोजगार सृजन एमएसएमई द्वारा व राष्ट्रीय उत्पादों में 45 प्रतिशत योगदान यह क्षेत्र कर रहा है।''[3] जिसमें वैश्विक परिदृश्य में पुरुष व महिला सहभागिता का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत ''कुल कर्मचारियों में 76 प्रतिशत पुरुष कर्मकर एवं 24 प्रतिशत महिला कर्मकर सम्मिलित हैं जो पुरुषों की तुलना में कम हैं।''[4]

राज्य स्तर पर विश्लेषण किया जाये तो इस हिमालय भौगोलिक अवस्थिति वाले उत्तराखण्ड राज्य में एमएसएमई क्षेत्र में संचालित कुल उद्यमों में सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय वार्षिक प्रतिवेदन 2012–13 के अनुसार 90.49 प्रतिशत भागीदारी पुरुष स्वामित्व की एवं 9.51 प्रतिशत भागीदारी महिला उद्यमियों की है, जो वैश्विक तुलनात्मक स्थिति में काफी कम है।

जनपद चम्पावत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की पुरुषों के सापेक्ष तुलनात्मक उद्यमिता स्थिति के अध्ययन हेतु वर्ष 2006 से 2016 तक की अवधि को आधार बनाकर अध्ययन किया गया। निष्कर्षतः यह तथ्य प्राप्त हुए कि जनपद में उक्त अवधि में पुरुषों की तुलना में महिला उद्यमिता सहभागिता काफी कम है। ''इस अवधि मे जनपद में स्थापित विनिर्माण क्षेत्र के 344 उद्यमों में महिला स्वामित्व केवल 43 उद्यमों व सेवा क्षेत्र के कुल 473 उद्यमों में 47 उद्यमों में प्राप्त है, जो कुल स्थापित उद्यमों का मात्र 11 प्रतिशत है''[5], जिनके द्वारा स्व संचालित उद्यमों के माध्यम से 266 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में 159 व्यक्तियों व सेवा क्षेत्र में 107 व्यक्तियों को रोजगार में संलग्न किया गया।

जनपद चम्पावत में विनिर्माण क्षेत्र में 2006 से 2016 तक महिला सहभागिता

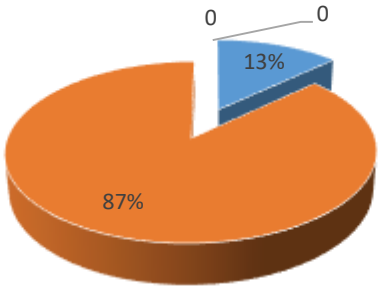

सेवा क्षेत्र में 2006 से 2016 तक महिला सहभागिता

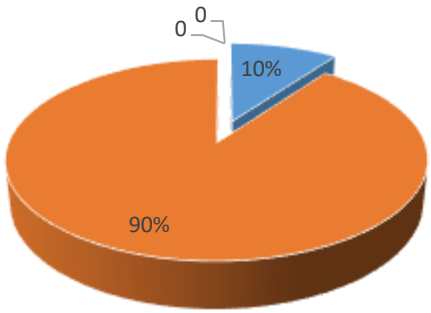

प्रस्तुत विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनपद में उद्यमिता विकास की दिशा में महिला सहभागिता पुरुष सहभागिता के सापेक्ष संतोषजनक नहीं मानी जा सकती है। पुरुषों के साथ–साथ महिला उद्यमियों द्वारा भी रोजगार सृजन की दिशा में नेतृत्व कर स्वयं तथा जनपद की आर्थिकी को सशक्त किया जा रहा है। लेकिन इस दिशा में और अधिक प्रयास किया जाना आवश्यक है। जनपद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संचालन के अन्तर्गत सर्वाधिक महिला उद्यमियों की संख्या विकासखण्ड चम्पावत में है, जिनके द्वारा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तशिल्प, सजावटी सामग्री, ऐपण कला, पेंटिंग, मसाला निर्माण, क्रोशिया, चावल मिलों, बेकरी, खाद्य प्रशोधन के कार्य किये जा रहे हैं। हस्तकला उत्पादों में कई महिला उद्यमी अन्य सामान्य महिलाओं के लिये प्रेरणा स्त्रोत हैं। जिनके द्वारा निर्मित उत्पादों का बाजार क्षेत्र विदेशों तक विस्तृत हुआ है, जिसके कारण इन हस्त निर्मित उत्पादों की सुन्दरता व आकर्षण है।

एमएसएमई उद्यम क्षेत्र औद्योगिक विकास का वह क्षेत्र है जिसे छोटे पैमाने पर अल्प पूँजी, अल्प संसाधनों, अल्प कौशल व अल्प संख्या पर सुगमता से संचालित किया जा सकता है। इस क्षेत्र का अध्ययन महिलाओं की आत्मनिर्भरता के संदर्भ में किया जाये तो वर्तमान प्रतियोगिता पूर्ण भौतिकवादी चकाचौंध के युग में यह उद्यम धन्धे विकास का सुगम मार्ग हैं। जिन्हें स्थानीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों द्वारा सुगमता से संचालित किया जा सकता है। ये उद्यम महिलाओं के गृह कार्यों के क्षेत्र का विस्तार हैं जिन्हें वे अपने कौशल से व्यवसायिक स्वरूप प्रदान करने में समर्थ हैं। जिन विविध कार्यों की कुशलता, विशेषज्ञता महिलाओं को प्राचीनकाल से ही प्राप्त थी, उनकी व्यवसायिक संकल्पना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमिता विकास द्वारा संभव है।

निष्कर्ष–निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि महिलायें किसी भी राष्ट्र के विकास के प्रदर्शन का पैमाना हैं जिनकी स्थिति सहज ही यह तय कर देती है कि पिछड़े और विकासशील देशों तथा विकसित देशों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में कितनी विसंगतियाँ हैं। इन विसंगतियों को दूर करने हेतु कितने अधिक प्रयास किये जाने शेष हैं। राज्य के सीमान्त जनपद चम्पावत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमिता क्षेत्र के अन्तर्गत महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण किया जाये तो स्थिति संतोषप्रद नहीं कही जा सकती। ग्रामीण महिलाओं द्वारा हाड़–तोड़ श्रम के बावजूद भी उनका पारिवारिक आर्थिक सहयोग नगण्य ही माना जाता है। वे अपने अस्तित्व से अपने मूल्य से प्रायः अनभिज्ञ ही रहती हैं। अपने द्वारा किये जाने वाले 12–16 घंटों के कार्यों को वे अपने कर्तव्य क्षेत्र की सीमा मानकर पारम्परिक रूप से करती आ रही हैं। जनपद चम्पावत की महिलाओं की सहभागिता का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि उनके आर्थिक, सामाजिक उत्थान हेतु संचालित विविध योजनाओं, कार्यक्रमों का लाभ भी मुख्यतः नगरीय महिलाओं व जागरुक तथा शिक्षित महिलाओं द्वारा ही लिया गया है। अपेक्षाकृत ग्रामीण अशिक्षित या कम पढ़ी लिखी महिलाओं के, जो अपने–अपने घर की आर्थिकी का संचालन स्वयं करने के बावजूद भी अपनी, कुशलता, हुनर से अनभिज्ञ हैं किसी प्रकार का लाभोन्वेष लेने के साहस से डरती हैं। यदि उन्हें प्रेरित कर उनके श्रम, कौशल का प्रयोग स्थानीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों द्वारा किया जाये तो निश्चित ही इस सहभागिता प्रतिशतांक में धनात्मक वृद्धि होगी। समाज में महिलाओं की स्थिति भी सशक्त होगी व जनपद का विकास होगा।

संदर्भ ग्रथ सूची–

1– Joshi, S.C. (2004), "Women Empowerment Myth and Reality", Akansha Publishing house, 113

2– सिंह, डॉ निशांत (2010),''महिला राजनीति व आरक्षण'', ओमेगा प्रकाश दिल्ली, पृ0सं0 113

3– सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उक्ष्म मंत्रालय भारत सरकार

4– पूर्वोक्त

5– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय उत्तराखण्ड सरकार

6– जिला उद्योग केन्द्र चम्पावत